

रजिस्टर्ड पोस्ट/ई-मेल

कार्यालय जिला एव सेशन न्यायाधीश, बारां (राज.)

क्रमांक: स्था./150

दिनांक : 18.01.2024

:: कार्यालय आदेश ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी विज्ञापन संख्या रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/अधीनस्थ न्यायालय/आशुलिपिक/2023/1515 दिनांक 28.07.2023, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक G/A-4(i)(a)151/22/43 दिनांक 16.01.2024 एवं राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी संस्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित नियम) एवं इस संबंध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिये राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 में आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने तिथि से छः माह/दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एक. 15(1)एफ.डी.(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 23,700/- रुपये मासिक नियत (फिक्स) पारिवारिक पर नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है-

S. No.	Merit No.	Roll No.	Name of Candidate	Date of Birth	Original Category	Allotted Category	Gender
1	16	40715	SONAL SHRIWAS S/O SANTOSH KUMAR SHRIWAS R/O - SARDAR PATEL WARD NO. 15 LALIPUR MANDLA (M.P.) PIN CODE :- 481661	21/06/1997	GEN	GEN	MALE
2	17	44335	PRASHANT SHAKYA S/O LAXMI NARAYAN SHAKYA R/O - SAISPURA, DEEMAR MOHALLA PHYSICAL RCAD SHIVPURI (M.P.) PIN CODE - 473551	04/05/2001	GEN	GEN	MALE

- सभी नियुक्तियों आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय/द्वितीय की संयुक्त परीक्षा 2023 के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिकाओं, भविष्य में होने वाली रिट याचिकाओं एवं विधिक कार्यवाही के निर्णयाधीन रहेंगी।
- प्रथम छः माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनि्युक्त अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परिवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढ़ाया जावेगा। पूरे परिवीक्षाकाल में कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद होने पर ही उपरोक्त वेतनमान (पे-मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
- अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों के संबंधित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थाई नियुक्ति दी गई है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पाई गई तो बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई सूचनायें या सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदर्शों के अधीन धिकित्ता व्यय के पुनर्भरण के संबंध में राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र लागू होंगे।

लगातार...

(2)

7. राज्य सरकार या माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र के अधीन पेंशन योजना लागू होगी।
8. इस आदेश की प्राप्ति के 7 कार्य दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
9. नवनियुक्त अभ्यर्थीगण पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।
10. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम धिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. Attestation Form में वांछित सूचना भरकर अभ्यर्थी साथ लावे।

संलग्न :- 03 किता

-54-


जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बारां (राज.)

क्रमांक : 301

दिनांक : 18-01-2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा) जिला न्यायालय, बारां
2. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय बारां को निर्देश है कि नियुक्ति आदेश की प्रति बारां न्यायक्षेत्र की वेबसाईट पर अपलोड करें तथा नियुक्ति आदेश की प्रति सम्बन्धित अभ्यर्थियों को उनकी व्यक्तिगत ई-मेल आई.डी. पर भिजवायें।
3. सम्बन्धित अभ्यर्थी श्री
4. निजी पत्रावली/सम्बन्धित पत्रावली


18.1.24
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बारां (राज.)